न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 42 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.07.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 107 दायर दिनांक – 01.05.2024

राजाराम कुलड़िया पुत्र नाथाराम कुलड़िया जाति जाट निवासी ग्राम जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

...............अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश घोटिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण निवासी ग्राम जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासी है जिनके रोही जोगलिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 226, खसरा संख्या 348, खसरा संख्या 356 व खसरा संख्या 680 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजूराम पुत्र नत्थू व सन्तु पुत्र नत्थू दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग के पहचान प्रमाण पत्र आदि में राजाराम पुत्र नाथाराम व सन्तोष कुमार पुत्र नाथाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तावजों में नाम राजाराम पुत्र नाथाराम व सन्तोष कुमार पुत्र नाथाराम दर्ज है। राजूराम व राजाराम तथा सन्तू व सन्तोष कुमार दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजाराम पुत्र नाथाराम व सन्तोष कुमार पुत्र नाथाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग के पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र नाथाराम व सन्तोष कुमार पुत्र नाथाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही जोगलिया खेत खाता खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 226 रकबा 6.7397 हैक्टेयर, खसरा संख्या 348 रकबा 6.2339 हैक्टेयर, खसरा संख्या 356 रकबा 10.0907 हैक्टेयर व खसरा संख्या 680 रकबा 4.6280 हैक्टेयर तहसील सुजानगढ़ में सदर्ज खातेदार राजूराम पुत्र नत्थू व सन्तु पुत्र नत्थू के स्थान पर राजाराम पुत्र नाथाराम व सन्तोष कुमार पुत्र नाथाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़